संख्या- 8/2015/265-ई-1/तेरह-2014-127(22)/2000

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2015

विषयः. वेतन समिति (2008) की लेखा कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में आबकारी विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग का पुनर्गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए 22446/चार-ए-प्रबंध/अधियाचन/पुनर्गठन दिनांक 17 जनवरी, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषयक निर्गत शासनादेश संख्या- 8/1743 ई-1/तेरह-2014-127(22)/2000 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के प्रस्तर-4 में दी गई तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-3 में त्रुटिवश 'सहायक लेखाकार' के स्थान पर 'लेखाकार' अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के प्रस्तर-4 में दी गई तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-3 में अंकित ''03 वर्ष की सेवा वाले लेखाकार के पद धारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा'' के स्थान पर ''03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पद धारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा'' पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-8/1743 ई-1/तेरह-2014-127(22)/2000 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-97/दस-2015, दिनांक 07-02-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2015/265(1) ई-1/तेरह-2015-127(22)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in